भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 470

20 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात का निर्यात

470. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महंगे कच्चे माल के कारण इस्पात के निर्यात में कठिनाई आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाया है; और

(ग) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:-

तैयार इस्पात का कुल निर्यात		
वर्ष	**मात्रा (एमटी)**	**विगत वर्ष की तुलना में % परिवर्तन**
2019-20	8.36	31.4
2020-21	10.78	29.1
2021-22	13.49	25.1
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन		

सरकार ने लौह अयस्क की उपलब्धता को बढ़ाने और उचित मूल्य पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खनन एवं खनिज नीति में सुधार शामिल हैं। बजट घोषणा 2022-23 में स्टील स्क्रैप पर आधारभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) को 31.03.2023 तक छूट प्रदान कर दी गई है। सरकार ने दिनांक 21.05.2022 की अधिसूचना के माध्यम से इस्पात के कच्चे माल तथा अन्य इस्पात उत्पादों के टैरिफ में भी संशोधन किए हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट/पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला, कोक एवं सेमी-कोक तथा फेरो-निकेल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। लौह अयस्क/सान्द्र (कॉन्सेंट्रेट्स) और लौह अयस्क पैलेट पर निर्यात शूल्क को बढ़ाकर क्रमश: 50% और 45% कर दिया गया है एवं पिग आयरन पर 15% निर्यात शुल्क लगाया गया है।

***